FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम .... सन् ....

.... नं. ....

किस्म मुकदमा ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व ... अहकाम ... हुकम की ... में जारी ...
27/2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ... ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/3/24 को पेश हो।	

सुवालाल बनाम अमित वगै.
वाद संख्या 176/2020

18/03/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । वकील वादी का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2022 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से हम सन्तुष्ट है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील वादी को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रुप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. /2022/7086 दिनांक 05.12.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)